ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(7)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2024 जयपुर, दिनांक : 26-03-2024

गेहूं आवंटन आदेश माह मई, 2024
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश संख्या 7–1/2019–बीपी–III पार्टV (e-376706) दिनांक 16.10.2023 एवं आदेश संख्या 15–33/2012–NFSA–पार्ट दिनांक 23.11.2023 विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गाईडलाईन दिनांक12.02.2019 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी के राशनकार्डधारी लाभार्थियों को **निःशुल्क** पात्रतानुसार **माह मई, 2024** हेतु गेहूं का जिलेवार उप–आवंटन संलग्न **परिशिष्ट–1** के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में निम्नानुसार किया जा रहा है :–

गेहूं आंवटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	**निःशुल्क**
द्वितीय	PHH (Others)	**निःशुल्क**

2– खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत ''अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी'' के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक **16.03.2024** की अद्यतन संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।

3– **माह मई,2024 हेतु आवंटित गेहूं का उठाव दिनांक 01 अप्रेल, 2024 से प्रारम्भ किया जावें तथा दिनांक 30 अप्रेल, 2024 तक शत–प्रतिशत उठाव किया जाना सुनिश्चित करें।**

4– खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

5– **आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम से निर्धारित समयावधि में शत–प्रतिशत मात्रा के उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक,नागरिक आपूर्ति की होगी।** *वह उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति किये गये गेहूं का तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करेगें।*

6– उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा ''सेन्ड टू पोस'' हो जायेगी। *जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेगें। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।*

7– खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।

8– योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूं के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जांच नियमित रूप से

जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए, ताकि श्रेणीवार लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार गेहूं प्राप्त होने की पुष्टि हो सकें।

9– नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूं का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेन्स स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेटबीपीएल एवं PHH अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।

10– गेहूं वितरण की ग्राहकपर्ची (Beneficiary Reecipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

11– सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डो की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर जिला रसद अधिकारी अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानवार आवंटित मात्रा में कमी करते हुए उप आवंटन जारी करें।

12– ऑफलाईन वितरित किये गये गेहूं की आगामी माह की 15 तारीख तक पॉस मशीन/पोर्टल पर इन्द्राज एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होगें।

13– खाद्य विभाग द्वारा एससीएम पोर्टल पर अंकितानुसार उचित मूल्य दुकानों के पास उपलब्ध अधिकतम समायोजन योग्य प्रारम्भिक अवशेष स्टॉक को समायोजित कर आगामी माह का नवीन आवंटन जारी किया जाता है। इसके बावजूद अगर किसी उचित मूल्य दुकान पर एससीएम पोर्टल लागू होने से पूर्व का एनएफएसए अतिरिक्त गेहूं भौतिक रूप से उपलब्ध हो, तो जिला रसद अधिकारी अपने स्तर पर उक्त गेहूं का समायोजन कर मुख्यालय द्वारा जारी आवंटित मात्रा में कम करते हुए उप आवंटन किया जाना सुनिश्चित करें।

14– "वन नेशन वन राशनकार्ड" के तहत अन्य राज्यों के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से उचित मूल्य दुकानवार आवश्यक मात्रा का 02 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

15– माह मई, 2024 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावें।

विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें। *भारत सरकार द्वारा वैधता अवधि का विस्तार नहीं किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये है।*

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्ते पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

नोटः–वर्तमान में नवसृजित जिलों हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन पृथक से नहीं किया जा रहा है। नवसृजित जिलों का खाद्यान्न आवंटन पूर्वानुसार ही किया जा रहा है, संबंधित जिला रसद अधिकारी पूर्वानुसार स्थित उचित मूल्य दुकानों हेतु उप–आवंटन/आर.ओ. जारी करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशीष कुमार)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

क्रमांकःएफ 13(7)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2023 जयपुर, दिनांक : 26-03-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों पर वितरण के इन्द्राज हेतु ऑप्शन स्थायी रूप से खोलने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग,राज.जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि आवंटित मात्रा का निर्धारित समयावधि में उठाव करने तथा उचित मूल्य दुकान पर शत–प्रतिशत उठाव मात्रा की आपूर्ति हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।
9. महाप्रबंधक (क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि **खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहू) के रिलीज आर्डर स्थानीय/निकटतम एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।**
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि **उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रकिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।**
11. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि **नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूं का शत–प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें। भारतसरकार के निर्देशानुसार वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रकिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द करदी जावेगी। अतः निर्धारित वैधता अवधि में शत–प्रतिशत मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानवार चालान काटा जाना सुनिश्चित करें।** *जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूं की उचित मूल्य दुकानों पर तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना तथा आपूर्ति की गई सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेगें। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।*
12. ए.सी.पी.(खाद्य) को प्रेषित कर लेख है कि सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित कर ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों द्वारा किये गये वितरण का पोर्टल पर इन्द्राज कराने हेतु ऑप्शनस्थायी रूप से खुलवाने की कार्यवाही करें।
13. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

परिशिष्ट-1

NFSA Regular Wheat Allotment May-2024

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	607.184	918.206	377.810	5950.524	7853.724
2	Alwar	645.317	1342.914	467.776	8935.111	11391.118
3	Banswara	1473.167	2334.685	700.623	2898.893	7407.368
4	Baran	1463.833	813.952	177.266	2594.799	5049.850
5	Barmer	786.264	2374.036	368.315	5750.786	9279.401
6	Bharatpur	500.515	1396.567	333.271	5945.961	8176.314
7	Bhilwara	860.739	1552.877	507.860	4613.754	7535.230
8	Bikaner	399.063	2031.277	442.624	3670.692	6543.656
9	Bundi	418.079	677.449	197.295	2538.041	3830.864
10	Chittaurgarh	903.019	901.794	580.444	2431.991	4817.248
11	Churu	757.234	1828.669	381.218	3747.730	6714.851
12	Dausa	322.995	1031.371	153.654	3785.340	5293.360
13	Dhaulpur	287.460	645.467	135.557	3063.538	4132.022
14	Dungarpur	1061.672	2498.710	344.686	2229.522	6134.590
15	Ganganagar	389.561	1308.358	148.667	4112.776	5959.362
16	Hanumangarh	457.539	999.322	174.335	3365.806	4997.002
17	Jaipur	438.755	1575.998	505.089	12549.298	15069.140
18	Jaisalmer	214.124	446.943	111.198	1258.032	2030.297
19	Jalor	732.005	1505.216	323.768	3518.702	6079.691
20	Jhalawar	538.244	1123.045	275.407	3344.350	5281.046
21	Jhunjhunun	309.969	532.133	203.888	5611.385	6657.375
22	Jodhpur	288.633	1743.469	196.759	8097.075	10325.936
23	Karauli	525.746	1397.637	254.462	2443.594	4621.439
24	Kota	320.131	1074.540	166.092	3155.174	4715.937
25	Nagaur	562.081	1330.104	356.947	9146.070	11395.202
26	Pali	621.444	1291.918	345.433	4325.443	6584.238
27	Pratapgarh	479.993	1064.887	259.738	1620.816	3425.434
28	Rajsamand	642.693	970.993	263.188	2623.118	4499.992
29	Sawai Madhopur	504.215	828.534	289.555	2742.656	4364.960
30	Sikar	278.654	778.644	171.334	7173.145	8401.777
31	Sirohi	334.458	574.809	188.108	2644.237	3741.612
32	Tonk	542.245	852.098	347.236	3181.923	4923.502
33	Udaipur	1695.444	3787.508	809.177	5021.868	11313.997
Total		**20362.475**	**43534.130**	**10558.780**	**144092.150**	**218547.535**

(आशीष कुमार)
उपायुक्त एवं उप-शासन सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग